न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 3360 - तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 28-06-2014 - पारित व्दारा - अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर, जिला रीवा - प्रकरण कमांक 4 अ-6-अ/2012-13 अपील

कृष्ण पाल सिंह पुत्र जयभान सिंह
ग्राम मरहा तहसील हुजूर जिला रीवा ---आवेदक

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन
2- जयप्रकाश एसोसिएट्स जे.पी.नगर
व्दारा डी.एस.राधा वरिष्ठ महाप्रबंधक
जे.पी.एसोसिएट्स जे.पी.नगर नौबस्ता
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्यप्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्रीमती खेता सिंह)

आ दे श

(आज दिनांक 07-08-2018 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 4 अ-6-अ/2012-13 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी सह भू अर्जन अधिकारी , हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 26-7-96 तथा प्रकरण कमांक 8 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 24-7-1996 से ग्राम मरहा, सकरवट, बनकुईया एंव

डाढी की भूमि 101.754 हैक्टर, 40.988 हैक्टर, 4.114 हैक्टर, 169/.008 हैक्टर के संबंध में आदेश पारित किये गये । इन आदेशों के पालन हेतु नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 4/2012-13 अ-6-अ दर्ज करके अंतरिम आदेश दिनांक 5-10-12 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुसार रिकार्ड दुरूस्त करने हेतु हलका पटवारी को निर्देश जारी किये गये । नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर व्दारा जारी निर्देशों के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी हुजूर ने प्रकरण क्रमांक 140/12-14 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-6-2014 से अपील प्रचलन-योग्य न पाने से निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर एंव आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने से निगरानी में देखना है कि :-

(1) **नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर व्दारा प्रकरण क्रमांक 4/2012-13 अ-6-अ पारित आदेश दिनांक 5-10-12 क्या अंतिम होकर अपील योग्य है। यदि नायव तहसीलदार का आदेश अपील योग्य है, तब क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अपील योग्य आदेश पर सुनवाई न करते हुये ग्राह्यता के स्तर पर अपील निरस्त करने में त्रृटि की गई है ?**

उक्त पद 4 (1) के क्रम में - नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 4/2012-13 अ-6-अ में पारित आदेश दिनांक 5-10-12 के अवलोकन पर पाया गया, नायव तहसीलदार ने इस प्रकरण में पटवारी हलका को आदेश दिनांक 5-10-12 के क्रम में पत्र जारी कर इस प्रकार के निर्देश दिये हैं :-

" अनुविभागीय अधिकारी सह भू अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 26-7-96 एंव प्रकरण कमांक 8 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 24-7-1996 के व्दारा भूमि अधिग्रहण किया गया है। आदेशानुसार कालम नं0 3 में म0प्र0 शासन का नाम तथा कालम नं0 12 में जयप्रकाश एसोसिएट का नाम दर्ज किया जाय। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि नायव तहसीलदार ने स्वस्तर से निर्णय नहीं लिया एंव हलका पटवारी को अनुविभागीय अधिकारी सह् भू अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर जिला रीवा के आदेश दिनांक 26-7-96 एंव आदेश दिनांक 24-7-1996 के पालन करने वावत् निर्देश जारी किये हैं इस प्रकार नायव तहसीलदार वृत्त बनकुईया तहसील हुजूर व्दारा प्रकरण क्रमांक 4/2012-13 अ-6-अ/ में निर्णय दिनांक 5-10-12 से हलका पटवारी को पत्र व्दारा जारी निर्देश अंतरिम प्रकृति के निर्देश है जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी हुजूर के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील प्रचलन-योग्य एंव ग्राह्य योग्य नहीं है । इस सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा व्दारा आदेश दिनांक 28-6-2014 में निकाला गया निष्कर्ष उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उक्त पद 4 में की गई विवेचना से स्पष्ट है कि वाद विचारित भूमियों पर खसरा सुधार के निर्देश नायव तहसीलदार व्दारा अंतरिम आदेश दिनांक 5-10-12 व्दारा हलका पटवारी को जारी किये है अर्थात नायव तहसीलदार के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी सह् भू अर्जन अधिकारी , तहसील हुजूर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 10 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 26-7-96 एंव प्रकरण क्रमांक 8 अ 67/1995-96 में पारित आदेश दिनांक 24-7-1996 के पालन में है। यदि तहसील न्यायालय किसी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के पालन में कार्यवाही करता है तब ऐसी कार्यवाही के विरूद्व अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि आदेश देने वाले न्यायालय के विरूद्व उसके वरिष्ठ न्यायालय में अपील होगी, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 28-6-2014 हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

(एस0एस0अल्ली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर